

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पत्रांक-04/STA-(विविध)-30/2016(खण्ड)

पटना, दिनांक-

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c-a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281, दिनांक-25.08.2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022, अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022, अधिसूचना संख्या-376, दिनांक-20.01.2023, अधिसूचना संख्या-413, दिनांक-23.01.2023, अधिसूचना संख्या-4547, दिनांक-14.06.2023, अधिसूचना संख्या-9376, दिनांक-18.12.2023, अधिसूचना संख्या-580, दिनांक-25.01.2024, अधिसूचना संख्या-8722, दिनांक-04.07.2024, अधिसूचना संख्या-13144, दिनांक-30.10.2024 एवं अधिसूचना संख्या-10177, दिनांक-29.12.2025 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(xvi) के रूप में कुल 264(दो सौ चौसठ) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करते हुए सम्मिलित किया जाता है।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(विविध)-30/2016(खण्ड)

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-04/STA-(विविध)-30/2016(खण्ड) 4466

पटना, दिनांक-05/06/2026

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/प्रसाशन मुख्य, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार, पटना/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6/6.5.26  
सरकार के अपर सचिव।